राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी संख्या – 105/2010/कोटा

1. गिर्राजसिंह पुत्र श्री लोकेन्द्रसिंह निवासी सी–264, तलवण्डी, कोटा
2. भंवरसिंह. पुत्र श्री कल्याणसिंह हाड़ा निवासी सी–264, तलवण्डी, कोटा .....**प्रार्थीगण.**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, कोटा
2. जिला आबकारी, कोटा .....**अप्रार्थीगण.**

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मदनलाल गुर्जर
अभिभाषक। .....**प्रार्थीगणों की ओर से.**

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थीगणों की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 29.12.2015

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा अपील सं. 18/2009 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2009 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(A) तहत् प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. प्रार्थी सं. 1 को देशी मदिरा समूह ग्राम पंचायत पीपल्दा हेतु वर्ष 2009–10 की स्वीकृति जारी कर अनुज्ञापत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27.04.2009 को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर अप्रार्थी सं. 2 श्री भँवरसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह का नाम सह अनुज्ञाधारी के रूप में जोड़ने की स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा प्रदान की गयी।
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना मोड़क द्वारा पत्र संख्या 3237 दिनांक 10.08.2009 से जिला आबकारी अधिकारी, कोटा को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 89/09 की प्रति भेजकर अप्रार्थी सं. 2 श्री भँवरसिंह पुत्र कल्याण सिंह के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत् अभियोग दर्ज होने की सूचना दी गयी। जिला आबकारी अधिकारी, कोटा ने प्रार्थीगणों को सुनवायी का अवसर प्रदान कर अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए दिनांक 15.09.2009 के आदेश से अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया।
3. जिला आबकारी अधिकारी, कोटा के उक्त आदेश दिनांक 15.09.2009 के विरूद्ध प्रार्थीगणों ने आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

लगातार.....2

आबकारी आयुक्त, राजस्थान ने आदेश दिनांक 13.11.2009 से जिला आबकारी अधिकारी, कोटा के आदेश दिनांक 15.09.2009 को उचित मानते हुए यथावत रखा एवं प्रार्थीगणों की अपील अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश दिनांक 13.11.2009 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

4. निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणों ने मुख्यतः प्रार्थी सं. 2 श्री भँवरसिंह के विरूद्ध उक्त अभियोग सं. 89/2009 में अनुसंधान के दौरान स्वयं पुलिस द्वारा अभियोग सिद्ध होना नहीं पाये जाने एवं प्रकरण में अन्य सह अभियुक्त मुकेश बैरवा के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाया जाने पर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किये जाने को आधार बताते हुए, जिला आबकारी अधिकारी, कोटा एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान के आदेशों को विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने का अनुरोध किया एवं दिनांक 15.09.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि तक की आनुपातिक लाईसेंस गारण्टी फीस लौटाने की मांग की। साथ ही दिनांक 15.09.2009 को प्रार्थीगणों की मदिरा दुकान से जब्त किये गये माल का मूल्यांकन करवा कर उसका मुल्य भी वापिस दिलाये जाने का निवेदन किया।

5. प्रार्थीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मदनलाल गुर्जर एवं उपराजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा की प्रकरण में बहस सुनी गयी।

6. प्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिस. पीटिशन सं. 2303/2010 श्री भँवरसिंह हाडा (प्रार्थी सं. 2) बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 की प्रमाणित प्रति, जो इस न्यायालय के समक्ष 24.09.2015 को प्रस्तुत की गयी, का उल्लेख कर अनुरोध किया कि प्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध पुलिस थाना, मोडक (कोटा) द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 89/09 की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। अतः प्रार्थीगणों के विरूद्ध जिस आपराधिक प्रकरण को आधार बनाकर वर्ष 2009–10 का देशी मदिरा समूह का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था, वह आधार ही समाप्त हो चुका है। अतः जिला आबकारी अधिकारी, कोटा व आबकारी आयुक्त, राजस्थान के द्वारा पारित संदर्भित आदेश अपास्त योग्य है। उपराजकीय अभिभाषक द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान के निगरानीधीन आदेश को उचित एवं विधिसम्मत बताने के अलावा ओर कोई ठोस कानूनी तर्क, निगरानी में उठाये गये कानूनी बिन्दुओं के खण्डन हेतु प्रस्तुत नहीं किया।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। चुंकि आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2009 में जिला आबकारी अधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2009 को इस आधार पर बहाल रखा गया था कि प्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 19/54

लगातार.....3

के तहत् अभियोग पंजीकृत हुआ है एवं इससे अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। अब चुंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 से प्रार्थी सं. 2 श्री भँवरसिंह (सह अनुज्ञापत्रधारी) के विरूद्ध दर्ज कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 89/09 ही निरस्त की जा चुकी है। अतः आबकारी आयुक्त, राजस्थान एवं जिला आबकारी अधिकारी, कोटा के आदेश पोषणीय (Maintanable) नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों की निगरानी स्वीकार की जाती है। जिला आबकारी अधिकारी, कोटा का आदेश दिनांक 15.09.2009 एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर का निगरानीधीन आदेश दिनांक 13.11.2009 अपास्त किया जाता है। साथ ही निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगणों की वर्ष 2009—2010 की अवधि हेतु देशी मदिरा समूह ग्राम पंचायत, पीपल्दा (कोटा) पेटे जमा लाईसेन्स गारन्टी राशि अवधि 22.09.2009 से 31.03.2010 नियमानुसार लौटा दी जावें। दिनांक 15.09.2009 को प्रार्थीगणों की स्वीकृत शुद्धा मदिरा दुकान से जब्त मदिरा का तत्समय की दरों अनुसार मूल्यांकन कर विभागीय नियमानुसार माल का मूल्य भी बिना किसी ब्याज के प्रार्थीगणों को लौटाया जावें।

निर्णय सुनाया गया।

29/12/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

29.12.2015

(मदन लाल)
सदस्य